


10.1.2020

प्रावली पेश झी वकील काले हाजिर। वकील काले द्वारा  
प्रकरण मे दोनो पक्षकान द्वारा आपसी राजीनामा होने से प्रकरण  
चलाना नही चाहते हैं। अतिरिक्त किया गया। चूंकि पक्षकान के  
सहय विवाद समाप्त हो चुका है अतः प्रकरण मे इसी स्तर पर  
अर्पण छोड़ खारिज की जाती है। प्रकरण फौजदारी शुमार होकर नंबर  
से कम की जाकर दफ्तर दफ्तर हो।

  
उपरवट्ट अधिवक्ता  
अरबाद निवा-अ. नं. 7

